उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – 1

संख्याःदस–51–2013 दिनांकःजनवरी 21, 2016

सेवा में,

1. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय : आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के चयन परिणाम में आरक्षी पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

––

आप अवगत है कि इस मुख्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20.9.2015 के माध्यम से निर्गत निर्देशों के अनुसार आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के चयन परिणाम में आरक्षी पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित 33495 अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठताक्रम में 16748 अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही सभी जनपदों द्वारा की गयी है। इस परिपत्र दिनांक 20.9.2015 की प्रति अनुलग्नक संहित सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

2. सभी जनपदों में चरित्र सत्यापन की उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण कराने के बाद श्रेष्ठताक्रम में शेष बचे 16747 अभ्यर्थियों (क्रमांक 16749 से 33495 तक) की सूची उ0प्र0पुलिस बेवसाइट **https://uppolice.gov.in** पर **Police Head Quarters (PHQ) > PHQ Circulars (Subjects) > Civil Police Establishment** फोल्डर में अपलोड कर दी गयी है। इन **16747** अभ्यर्थियों का जोन/परिक्षेत्र/जनपदवार संख्यात्मक विवरण संलग्न है।

3. उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 20.9.2015 में निहित निर्देशों के अनुसार ही इन 16747 अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही जनपद स्तर पर एक पुलिस उपाधीक्षक को नोडल अधिकारी की देख–रेख में एक सप्ताह में पूर्ण करायी जाय और इसके लिए सभी उपलब्ध साधन एवं माध्यमों को उपयोग किया जाय जिससे अभ्यर्थीगण चरित्र सत्यापन हेतु समय से उपस्थित हो सकें।

4. आप उपर्युक्त सूची में अपने जनपद की दर्शायी गयी संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची के साथ एक उत्तरदायी कर्मी को दिनांक **22.01.2016** को पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद भेजें जो अनुभाग– दस के स्टाफ से सम्पर्क कर सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के ओएमआर आवेदन पत्रों की प्रतिकृति (प्रिन्टेड प्रतियॉ) प्राप्त कर लेंगे और उन्हें साथ ले जाकर अपने जनपद के निवासी सम्बन्धित अभ्यर्थीगण की चरित्र सत्यापन पत्रावली के अभिलेखों से मिलान करा लें। मिलान से सभी प्रकार से उपयुक्त पाये जाने पर ही चरित्र सत्यापन की कार्यवाही को पूर्ण माना जायेगा। इस प्रकार जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की पुष्टि कर ली जाय।

5. जनपद स्तर पर चरित्र सत्यापन की चेकिंग की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात सम्बन्धित परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एक अनुभवी पुलिस उपाधीक्षक को परिक्षेत्र स्तर पर परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर उन्हें निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह परिक्षेत्र के समस्त जनपदों से पूर्ण हो चुके चरित्र सत्यापन की पत्रावलियॉ परिक्षेत्र स्तर पर मॅगाकर नीचे दिये गये चेक लिस्ट के अनुसार परीक्षण कर लें तथा परीक्षण में यदि कोई कमी पायी जाये तो उसका तत्काल सम्बन्धित जनपद से निराकरण करा लें। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक कृपया यह भी सुनिश्चित करा लें कि चरित्र सत्यापन की कार्यवाही नियत समय में शत–प्रतिशत पूर्ण हो जाय।

6. चेक–लिस्ट का प्रारूप निम्नवत है :–

सभी अभ्यर्थियों की अलग–अलग पत्रावलियॉ होनी चाहिए। <u>पत्रावली के ऊपर निम्न शीर्षक लिखे जायें</u> :–

(1) भर्ती बोर्ड से प्राप्त होकर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेषित सूची का मुख्य क्रमांक
(2) अभ्यर्थी का नाम
(3) पिता का नाम
(4) अनुक्रमांक
(5) गृह जनपद (ओएमआर/आवेदन पत्र में भरा गया स्थायी निवास का जनपद)
(6) उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त
(7) यदि अनुपयुक्त है तो किस स्तर पर और उसका संक्षिप्त विवरण अंकित किया जाय
(8) नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद (मुख्यालय द्वारा जनपद आवंटन के पश्चात अंकित किया जाय)

पत्रावली के अन्दर निम्नवत क्रम में अभिलेखों का मूलरूप में रखा जाना अपेक्षित है :–

(1) अभ्यर्थी का ओएमआर आवेदन–पत्र (पृष्ठों की संख्या............)
(2) अभ्यर्थी का शपथ–पत्र (पृष्ठों की संख्या............)
(3) अभ्यर्थी का अन्तिम प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाण–पत्र (पृष्ठों की संख्या............)
(4) स्थायी पते पर किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट (पृष्ठों की संख्या............)
(5) अस्थायी पते पर किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट (पृष्ठों की संख्या............)
    (1) .... (पृष्ठों की संख्या............)
    (2) .... (पृष्ठों की संख्या............)
    (3) .... (पृष्ठों की संख्या............)

<u>नोट</u> : चरित्र सत्यापन आख्या में थाने की रिपोर्ट पर स्थानीय अभिसूचना इकाई की आख्या तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की मोहर लगी हो।

(6) अभिसूचना विभाग की चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट (पृष्ठों की संख्या............)
(7) अभ्यर्थी के विरूद्ध मुकदमे होने पर मा0 न्यायालय के निर्णय (दोषमुक्त/सजा होने की दशा में) के आलोक में जिला मजिस्ट्रेट का अभिमत/संस्तुति की आख्या (पृष्ठों की संख्या............)
(8) अभ्यर्थी के नौकरी में होने पर उसके नियुक्ति स्थान से भी चरित्र सत्यापन की जॉच करायी जाय (पृष्ठों की संख्या............)
(9) चिकित्सीय परीक्षण प्रारूप–2 में रिपोर्ट की प्रति(उ0प्र0 पुलिस भर्ती बोर्ड से प्राप्त की जानी है)। (पृष्ठों की संख्या............)

(कुल पृष्ठ ....)

7. उपर्युक्तानुसार मिलान में इस बात का ध्यान रखा जायेगा और जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि अभ्यर्थी के निवास के पते तथा उसके द्वारा दिये गये अन्य पते के अनुसार जनपदीय तथा अभिसूचना विभाग के स्तर से प्राप्त चरित्र सत्यापन की आख्या का भली– भॉति परीक्षण कर लिया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गयी है। चरित्र सत्यापन की आख्या के अभिलेखों को पत्रावली के अन्दर सही क्रम में रखा गया है।

8. अभ्यर्थी के निवास के पते तथा उसके द्वारा दिये गये अन्य पते के अनुसार जनपदीय तथा अभिसूचना विभाग के स्तर से प्राप्त चरित्र सत्यापन की आख्या के परीक्षण से यदि किन्हीं मामलों में त्रुटि पायी जाती है तो उसका त्वरित समाधान प्रत्येक दशा में दो दिवस में कर लिया जायेगा और उनकी सूचना अलग से दी जायेगी।

9. ऐस अभ्यर्थी जो अन्य प्रान्तों के निवासी हैं, उनका विवरण सम्बन्धित जनपद द्वारा अलग से तैयार किया जायेगा। अन्य प्रान्तों के निवासी अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्व की भॉति राज्यों के समक्ष अंकित जनपदों द्वारा की जायेगी :–

क.सं.	अभ्यर्थी के स्थायी निवास का राज्य	चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित जनपद
1	बिहार, झारखण्ड	जनपद वाराणसी उ0प्र0
2	मध्य प्रदेश	जनपद झॉसी उ0प्र0
3	छत्तीसगढ़	जनपद इलाहाबाद उ0प्र0
4	राजस्थान	जनपद आगरा उ0प्र0
5	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड	जनपद मेरठ उ0प्र0
6	उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए	जनपद लखनऊ उ0प्र0

10. कृपया इसे वरीयता प्रदान करें।

संलग्नक

(1) चरित्र सत्यापन हेतु प्रबंध एवं दिशा–निर्देश की बुकलेट–कुल **15पृष्ठ**, जिसमें चरित्र सत्यापन प्रपत्र भराये जाने हेतु दिशा–निर्देश, परिपत्र दिनांक 20.9.2015 की, शासनादेश दिनांक 28.4.1958 की प्रति, शपथ–पत्र का प्रारूप, उपस्थिति रजिस्टर कर प्रारूप, दैनिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप, पुलिस मुख्यालय को सूचना भेजने हेतु 26कालम का प्रारूप, चरित्र सत्यापन की पत्रावलियॉ तैयार कर आवंटित जनपद को भेजने का प्रारूप सम्मिलित हैं।
(2) रू0 10/– के नॉन–जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर लिए जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप(मा0न्यायालय के निर्णय से सेवा परिवर्तन अथवा चयन परिणाम से बाहर होने की सम्भावना के दृष्टिगत)–01पृष्ठ।
(3) आरक्षी पुलिस के पद पर नियुक्ति का प्रारूप–01पृष्ठ।
(4) रू0 32/– के नॉन–जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'ख' (1) –01पृष्ठ।
(5) रू0 42/– के नॉन–जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'ख' (2) –01पृष्ठ।

21/1/16

(भगवान स्वरूप)
पुलिस महानिरीक्षक/
उपमहानिरीक्षक–स्थापना,
उ0प्र0।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर सचिव भर्ती, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन/समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया यह पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाइट **https://uppolice.gov.in** पर **Police Head Quarters (PHQ) > PHQ Circulars (Subjects) > Civil Police Establishment** फोल्डर में अपलोड कराने की कृपा करें।

रू0 10/– के नॉन–जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर लिए जाने वाले

शपथ पत्र का प्रारूप

नाम .... अनुकमांक(आरक्षी भर्ती 2013 का) .... जन्म–तिथि ....

पुत्र श्री..................................... निवासी............................ थाना............................ जनपद.................. का शपथ पत्र।

मैं ....उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :–

(1) यह कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 में आरक्षी पुलिस के पद पर प्रशिक्षण के लिए मेरा चयन हुआ है और इस पद के बेसिक प्रशिक्षण हेतु दिनांक .... को जनपद/प्रशिक्षण संस्थान.............................. में आमद हुई है।

(2) यह कि चरित्र सत्यापन वाले जनपद ....द्वारा मुझे भेजे गये बुलावा पत्र में किये गये उल्लेख **"उक्त प्रशिक्षण (आरक्षी पुलिस पद का बेसिक प्रशिक्षण) एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया (आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013) के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा"** को मैंने ठीक से पढ़ा है जिसकी मुझे भली–भॉति जानकारी है।

(3) मैं यह भली–भॉति जानता हूँ कि यदि मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा **आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 के** घोषित चयन परिणाम के विरूद्ध कोई भी निर्णय दिया जा सकता है जिससे कुछ अभ्यर्थियों की सर्विस(सेवा) परिवर्तित हो सकती है तथा मेरिट लिस्ट के अन्त के कुछ अभ्यर्थी चयन परिणाम से बाहर भी हो सकते हैं। मा0 न्यायालय के ऐसे निर्णय से यदि आरक्षी ना0पु0 के पद से मेरी सेवा आरक्षी पीएसी या फायरमेन के पद हेतु परिवर्तित होती है अथवा मेरा नाम चयन परिणाम से बाहर हो जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(4) यह कि आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 के भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित चयन परिणाम के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय से सर्विस (सेवा) परिवर्तित होने अथवा चयन परिणाम से बाहर होने जाने की सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं जिनके विरूद्ध मेरे द्वारा किसी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं किया जायेगा।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा **शपथकर्ता**

मै.......................................उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस पत्र के प्रस्तर ....में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य एवं सही हैं, इस शपथ पत्र के प्रस्तर..........................में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है और जिन्हें मै विश्वास करता हूँ कि वे भी सत्य हैं, इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी

आज दिनांक ....को .... पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता

आरक्षी पुलिस के पद पर नियुक्ति का प्रारूप

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008(यथासंशोधित) के नियम–18 के प्रावधानों के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती–2013 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी ....अनुक्रमांक......................... पुत्र श्री .... निवासी ग्राम.. पोस्ट.. थाना .... तहसील .... जिला.......................... (पिन कोड नं0.....................) को आरक्षी पद पर नियुक्ति हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक–कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक............ .... दिनांक .... द्वारा जनपद........................... आवंटित किया गया है।

2. अतः अभ्यर्थी .... अनुक्रमांक .... पुत्र श्री .... निवासी ग्राम.. पोस्ट...................................... थाना .... तहसील.. जिला.. (पिन कोड नं0....................) को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008(यथासंशोधित) के अधीन रिक्रूट आरक्षी के पद पर अस्थायी रूप से जनपद .... में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियमानुसार अनुमन्य पे–बैण्ड रू0 5,200–20,200 ग्रेड पे 2,000/– के अनुसार प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो कभी भी समाप्त की जा सकती है।

3. प्रतिसार निरीक्षक उक्त अभ्यर्थी को पूर्ण किट प्रदान कर जनपद में ही रखकर प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जे0टी0सी0) कराना सुनिश्चित करें।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद ....।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद.......................।

संख्याः **दिनांकः , 2015**

प्रतिलिपि :–

प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा उक्त रिक्रूट आरक्षी को भर्ती एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने, जे0टी0सी0 कराने तथा किट प्रदान किये जाने हेतु।

2. आंकिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. अभ्यर्थी श्री .... पुत्र श्री .... निवासी ग्राम... पोस्ट.. थाना .... तहसील .... जिला...................................(पिन कोड नं0..........................) को अनुपालनार्थ।

(नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद ....।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिरीक्षक–प्रशिक्षण, उ0प्र0 पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, ... जोन, ...।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, ... परिक्षेत्र, ...।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक–कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या...... ....दिनांक......................... के संदर्भ में।

परिशिष्ट ''ख'' (1)

प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज–सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा नियमानुसार अनुमन्य वेतन प्रशिक्षण काल में दिया जाएगा, के सम्बन्ध में अभ्यर्थी (रिक्रूट) के माता पिता, संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूँकि मैं...आत्मज श्री.. जिला.................... का निवासी हूँ और चूँकि पुलिस सेवा हेतु प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ जे0टी0सी0.......................................में सम्मिलित होने के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हेतु श्री......................................आत्मज श्री .... निवासी...को चयनित किया गया है और उसने सरकार की सेवा को वरण किया है। अतएव यह बन्ध–पत्र दिनॉक..................................जो उक्त................... ....के निमित्त प्रतिभू...प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के मध्य में निस्पादित हुआ है। इस बात का साक्षी है कि उक्त.............के उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त...इस बन्ध के दिनांक से उक्त संस्थान में परिश्रम पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए तब तक रहेगी जब तक पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 या उक्त संस्थान के प्रमुख उसे अपना प्रशिक्षण छोडने की अनुमति न प्रदान करें, और वह उक्त संस्थान से सम्बन्धित अभ्यर्थियों (रिक्रूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का सच्चे हृदय से पालन करेगा। उक्त.................. .... का उक्त अवस्था कि उक्त ....अभ्यर्थी (रिक्रूट)

1– उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा आरक्षी रिक्रूट की परीक्षा पास न करे ।

2– प्रशिक्षण से त्याग पत्र दें।

3– दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।

4– उक्त संस्थान से सम्बन्धित अभ्यर्थियों (रिक्रूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।

5– प्रशिक्षण के पश्चात 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।

6– साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।

7– उक्त संस्थान के प्रमुख द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किये जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त रिक्रूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध है:–

   1– वह सब धनराशि जो साज सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जावें।

   2– वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जाय।

   3– वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो।

   4– और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि रिक्रूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव प्रमाण–पत्र पर जो उक्त रिक्रूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा माल गुजारी की भॉति वसूल होगा।

साक्षी

1– ....

हस्ताक्षर...................................

2– ....

दिनॉक......................................

स्थान..

परिशिष्ट "ख" (2)

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर कराने के लिए बन्ध पत्र

मैं ....आत्मज श्री ....
......................जिला.......................................का निवासी हूँ। ....स्थित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वर्ष................में चुना गया हूँ। (जिसे आगे रिकूट आरक्षी कहा गया है)

उक्त रिकूट राज्यपाल उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा समय–समय पर जो भी साज–सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दे, और जिसके मूल्य के सम्बन्ध में उसे यथा समय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किस्तों में कर देगा और इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाए, वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त रिकूट को त्याग पत्र देने, प्रशिक्षण बन्द कर देने या पदच्युत किए जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त संस्थान के प्रमुख ने उसे संस्थान में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो बाद में कॉटेज स्टोर से मिले हों, अपने पास रखे या वह उन्हें ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त संस्थान प्रमुख निश्चित करें, संस्थान प्रमुख के हाथ बेच सकता है।

उक्त रिकूट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वह :–

1– उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि विहित प्रशिक्षण की परीक्षा पास न करे।
2– प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
3– दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4– प्रशिक्षण काल में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उक्त संस्थान के प्रमुख की बिना पूर्व अनुमति के उक्त संस्थान छोडकर चला जाय या प्रशिक्षण बन्द कर दे।
5– उक्त संस्थान से संबंधित अभ्यर्थियों(रिकूट) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।
6– प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग–पत्र दे दें।
7– साज–सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किए जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
8– उक्त संस्थान के प्रमुख द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संतोषजनक न पाये जाने पर संस्थान से वहिष्कृत या पृथक किया जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त रिकूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनवद्ध है :–
    1– वह सब धनराशि जो साज–सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जाय।
    2– वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जावे।
    3– वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त रिकूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण पत्र पर जो उक्त रिकूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की भाँति वसूल होगा।

साक्षी

1– .... हस्ताक्षर...

2– .... दिनॉक...

स्थान...

प्रशिक्षण संत्र 2015–16 में आरक्षी पुलिस के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठताक्रम में शेष बचे 16747 के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही हेतु जोन/परिक्षेत्र/जनपदवार संख्यात्मक विवरण।

क. सं.	जोन	परिक्षेत्र	कमांक	जनपद	अभ्यर्थियों की संख्या	ओएमआर/आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	AGA	AGA	1	AGRA	501	22.01.2016
			2	FIROZABAD	220	22.01.2016
			3	MAINPURI	234	22.01.2016
			4	MATHURA	364	22.01.2016
		AIH	5	ALIGARH	410	22.01.2016
			6	ETAH	164	22.01.2016
			7	HATHRAS	217	22.01.2016
			8	KASGANJ	64	22.01.2016
2	ALD	ALD	9	ALLAHABAD	314	22.01.2016
			10	FATEHPUR	196	22.01.2016
			11	KAUSHAMBI	92	22.01.2016
			12	PRATAPGARH	243	22.01.2016
		CKT	13	BANDA	53	22.01.2016
			14	CHITRAKUT	17	22.01.2016
			15	HAMIRPUR	76	22.01.2016
			16	MAHOBA	57	22.01.2016
3	BRY	BRY	17	BAREILLY	190	22.01.2016
			18	BUDAUN	122	22.01.2016
			19	PILIBHIT	87	22.01.2016
			20	SHAHJAHANPUR	68	22.01.2016
		MDD	21	AMROHA	336	22.01.2016
			22	BIJNOR	465	22.01.2016
			23	MORADABAD	334	22.01.2016
			24	RAMPUR	96	22.01.2016
			25	SHAMBHAL	104	22.01.2016
4	GKR	BSI	26	BASTI	148	22.01.2016
			27	SANT KABIR NAGAR	142	22.01.2016
			28	SIDHARTH NAGAR	19	22.01.2016
		DPN	29	BAHRAICH	19	22.01.2016
			30	BALRAMPUR	18	22.01.2016
			31	GONDA	41	22.01.2016
			32	SHRAVASTI	2	22.01.2016
		GKR	33	DEORIA	353	22.01.2016
			34	GORAKHPUR	389	22.01.2016
			35	KUSHINAGAR	111	22.01.2016
			36	MAHARAJGANJ	97	22.01.2016
5	KNR	JSI	37	JALAUN	160	22.01.2016
			38	JHANSI	271	22.01.2016
			39	LALITPUR	42	22.01.2016
		KNR	40	ETAWAH	163	22.01.2016
			41	FATEHGARH	98	22.01.2016
			42	KANNAUJ	153	22.01.2016
			43	KANPUR DEHAT	319	22.01.2016
			44	KANPUR NAGAR	500	22.01.2016
			45	AURAIYA	117	22.01.2016

6	LKW	FZD	**46**	AMBEDKAR NAGAR	195	22.01.2016
			47	AMETHI	69	22.01.2016
			48	BARABANKI	129	22.01.2016
			49	FAIZABAD	181	22.01.2016
			50	SULTANPUR	144	22.01.2016
		LKW	**51**	HARDOI	252	22.01.2016
			52	LAKHIMPUR KHIRI	187	22.01.2016
			53	LUCKNOW	278	22.01.2016
			54	RAIBARELI	334	22.01.2016
			55	SITAPUR	194	22.01.2016
			56	UNNAO	329	22.01.2016
7	MRT	MRT	**57**	BAGHPAT	497	22.01.2016
			58	BULAND SHAHAR	703	22.01.2016
			59	G.B. NAGAR	159	22.01.2016
			60	GHAZIABAD	410	22.01.2016
			61	HAPUR	307	22.01.2016
			62	MEERUT	769	22.01.2016
		SRR	**63**	MUZAFFAR NAGAR	553	22.01.2016
			64	SAHARANPUR	400	22.01.2016
			65	SHAMLI	279	22.01.2016
8	VNS	AZH	**66**	AZAMGARH	318	22.01.2016
			67	BALLIA	387	22.01.2016
			68	MAU	186	22.01.2016
		MZR	**69**	MIRZAPUR	104	22.01.2016
			70	SANT RAVIDAS NAGAR	66	22.01.2016
			71	SONBHADRA	46	22.01.2016
		VNS	**72**	CHANDAULI	114	22.01.2016
			73	GHAZIPUR	497	22.01.2016
			74	JAUNPUR	245	22.01.2016
			75	VARANASI	217	22.01.2016
			76	OTHER DISTRICTS	12	22.01.2016
TOTAL NO. OF CANDIDATES					**16747**	

उपर्युक्त **OTHER DISTRICTS** में दशाये गये 12 अभ्यर्थियों का जनपदवार विवरण निम्नवत है :–

	VNS	VNS	**1**	जौनपुर	**1**	22.01.2016
			2	गाजीपुर	**1**	22.01.2016
	GKR	GKR	**3**	गोरखपुर	**1**	22.01.2016
	AGA	AGA	**4**	आगरा	**1**	22.01.2016
	ALD	ALD	**5**	फतेहपुर	**1**	22.01.2016
			6	कौशाम्बी	**1**	22.01.2016
	LKW	LKW	**7**	लखनऊ	**1**	22.01.2016
	BRY	MDD	**8**	अमरोहा	**1**	22.01.2016
	MRT	MRT	**9**	गाजियाबाद	**1**	22.01.2016
			10	हापुड़	**1**	22.01.2016
			11	मेरठ	**1**	22.01.2016
	KNR	KNR	**12**	कानपुर नगर	**1**	22.01.2016
TOTAL NO. OF OTHER DISTRICTS CANDIDATES					**12**	–